विचार

उदास होने के लिए
उम्र पड़ी है,
खुश रहने के लिए
जिंदगी खड़ी है।

दैनिक
बिहार पत्रिका
सच के साथ

वर्ष	3
अंक	32
पृष्ठ	4
मूल्य	2 रुपए

पता : कंकड़बाग, पटना 3
पटना से प्रकाशित

पटना। वीरवार, 27 अप्रैल, 2023 | www.dainikbiharpatrika.com | संपादक : कृष्णा टेकरीवाल | +91-9801716267 | dainikbiharpatrika@gmail.com

न्यूज एक नजर

सचिवालय में 69 सिक्यूरिटी गार्ड की निकली भर्ती

बिहार पत्रिका। पटना

बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सचिवालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0-01/2023 के मुताबिक सुरक्षा प्रहरी के 69 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों में 29 अनारक्षित हैं, जबकि 10 एससी, 1 एसटी, 9 ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस, 12 अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर वेतन स्तर-3 (रु.21,700 से रु.69,100) के अनुसार दिया जाएगा साथ ही अन्य लागू भत्ते भी दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा सचिवालय में सिक्यूरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 मई 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 675 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 180 रुपये है। बिहार विधानसभा सचिवालय में सिक्यूरिटी गार्ड भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में बिहार सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी, अधिक जानकारी व अन्य विवरणों के लिए भर्ती अधिसूचना देखें।

बिहार पंचायत उपचुनाव : 25 मई को वोटिंग, 27 को आएगा रिजल्ट

पटना। बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर बिगूल फूंक दिया गया है। तीन हजार से अधिक पदों पर पंचायत उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। उपचुनाव के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 27 मई को कराई जाएगी।

पंचायत उप चुनाव के लिए 2 मई को अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन प्रकिया शुरु होगी। 9 मई तक नामांकन पत्र डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई तक होगी। चुनावी दंगल से कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस 15 मई तक ले सकेंगे।

मतदान 25 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराए जाएंगे। मतगणना दो दिन बाद 27 मई को होगी। मतगणना का काम प्रखंड मुख्यालयों में होगा।

निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

बिहार पत्रिका, भागलपुर।

सिल्क सिटी भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के विकास योजनाओं के अंतर्गत हो रहे कार्यों पर युवा एकता सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता ने निगम प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्रबंधन के कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए संगठन अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक सभी प्रकोष्ठ, युवा एवं बड़ी संख्या में आमजन ने भागीदारी दी। काटे गए पेड़ों की जगह पर अविलंब पेड़ लगाने, पानी की समस्या को दूर करने, बंद पड़े प्याऊ को चालू करने को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ज

नता की विभिन्न मांगों को रखते हुए संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास की आड़ में सैंडिस कंपाउंड का पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। अब तक अनगिनत पेड़ काटे जा चुके हैं, अगर इसी तरह पेड़ों को काटते रहें तो एक समय सैंडिस कंपाउंड की हरियाली समाप्त हो जाएगी। आर्थिक लाभ के लिए पेड़ों की कुर्बानी ली जा रही है।

सैंडिस कंपाउंड में सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में हमलोग ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे। गौरतलब हो कि भागलपुर का सैंडिस कंपाउंड मैदान पूरे शहर का हृदय स्थल है, हजारों लोग यहां सुबह और शाम टहलने के लिए आया करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ना ही लोगों को हवा मिल पाएगी और ना ही उन्हें छांव मिलेगी। कार्यक्रम में महामंत्री मंटू यादव, डॉ0 आरिफ आजाद, डॉ0 विश्वजीत कुमार, सिकंदर चौधरी, दिलीप कुमार आदि मौजूद थे।

28 अप्रैल को जिला मुख्यालय में धरना देंगे शिक्षक

बिहार पत्रिका, बांका।

बिहार पंचायत प्रखंड नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की एक बैठक शिक्षक नियमावली- 2023 के विरोध में संघ के प्रखंड अध्यक्ष जयशंकर कुमार की अध्यक्षता में डीएन सिंह महाविद्यालय के समीप कॉम्पिटेटिव कोचिंग सेंटर में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित शिक्षकों के बीच संघ ने निर्णय लिया कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के अलावे शिक्षक नियमावली- 2023 के विरोध में आगामी 28 अप्रैल को जिला मुख्यालय में आयोजित धरना को सफल बनाना है। बैठक में उपस्थित संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सहित प्रखंड स्तरीय संघ के पदाधिकारियों ने धरना कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शिक्षकों का आह्वान किया। शिक्षकों ने कहा कि 2023 नियमावली शिक्षकों के हित में नहीं है। संघ इस नियमावली के विरोध में आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार, जिला सचिव रामविलास सिंह, प्रखंड सचिव सुभाष कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष सुमित कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार सुधांशु, श्यामसुंदर ठाकुर, प्रदीप पासवान, बजरंगी दास, किशोर कुमार सिंह, मोतीलाल मंडल, वीरेंद्र कुमार दिक्षित कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, राजेश ठाकुर, सदन कुमार, संजय ठाकुर सहित कई अन्य शिक्षक गण उपस्थित थे।

नई नियमावली से सन्हौला में शिक्षकों का उबला आक्रोश

धरने पर बैठे सैकड़ों शिक्षक, जमकर की नारेबाजी

अमित कुमार झा

भागलपुर। बिहार। नई नियमावली के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश उबल पड़ा है और वे बिहार सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बुधवार को तीखी और उमस भरी गर्मी में भी धरने पर बैठे रहे। शिक्षकों ने महागठबंधन सरकार पर खुद को छलने का आरोप लगाया है।बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर जिले के सैकड़ों शिक्षक भागलपुर जिले के कोने- कोने से समाहरणालय परिसर पिछले गेट पर अवस्थित धरनास्थल पर पहुंचकर अपने विरोध प्रदर्शन को प्रकट किए तथा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए अपने मांगों को जायज बताया। धरने का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने बताया कि सरकार शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी दोनों को ठगने का काम की है। इससे पहले भी कोई नियमावली लागू होने पर उसका लाभ सभी शिक्षकों को दिया जाता था लेकिन इस बार तो सरकार ने शिक्षकों को साफ बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इतना ही नहीं शिक्षक किसी भी परीक्षा से डरते नहीं है लेकिन नई नियमावली में उत्पन्न विसंगति से वे डर रहे है।

किसी भी विभाग में आज तक ऐसा नहीं हुआ की किसी कर्मी को प्रोन्नति पाने के लिए नए सिरे से आवेदन करना हो और उन्हें खुली प्रतियोगिता में धकेला जाए यह वर्तमान सरकार के शिक्षक विरोधी रवैए को उजागर करती है और अगर सरकार हमें बिना शर्त नई नियमावली में समायोजित नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज तथा तीव्र किया जाएगा। मौके पर अशोक कुमार गुप्ता, संयोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा, मिहिर वत्स, प्राणमणि सिंह, देव कुमार, मनीष कुमार, नंदनी कुमारी, कृष्ण मुरारी, अंकन कुमार, प्रीति राज, अर्चना कुमारी, डोली कुमारी, राजा राम, संजीव ठाकुर, अमोद, अभय राज, सुमन, कृष्ण नंदन, मनोज, श्मशाद, दीपक झा, कुमार गौरव, फिरदौश आलम आदि ने शिक्षकों को संबोधित किया।

मजदूरों के कल्याण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

अमित कुमार झा, बांका।

बिहार। जिलांतर्गत रजौन प्रखंड के धौनी-बामदेव पंचायत भवन में बुधवार को मुखिया प्रतिनिधि सह समाजसेवी मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह एवं उप- मुखिया राजीव कुमार मंडल की अगुवाई में ग्रामीणों एवं वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्य तथा श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा मजदूरों के कल्याण हेतुः संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अनिता कुमारी एवं प्रथम संस्था के जिला समन्वयक पंकज कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राज्य श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 14 अलग- अलग प्रकार की योजनाएं संचालित है। राज मिस्त्री, हेल्पर, लोहार, बढ़ई, पेंटर, टाइल्स मिस्त्री सहित लगभग 20 प्रकार के श्रमिकों का निबंधन योजना के तहत होता है। भवन मरम्मत, वार्षिक चिकित्सा लाभ, साइकिल क्रय अनुदान, विवाह सहायता, मातृत्व लाभ सहित कुल 14 तरह के आर्थिक लाभ निबंधित मजदूर उठा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा बिहार शताब्दी कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना एवं प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना संचालित की जा रही है। कार्यशाला में प्रथम संस्था के प्रखंड समन्वयक सुधांशु शेखर, वार्ड सदस्य गिरिजा देवी, अविनाश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, निकेश कुमार, विकेश कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष आदि उपस्थित रहे।

सदर अस्पताल भागलपुर में गर्भवती महिलाओं पर आफत, प्रसूता परेशान

अमित कुमार झा

भागलपुर। बिहार। सिल्क सिटी भागलपुर जिलांतर्गत सदर अस्पताल की मशीनों को नवनिर्मित एमसीएच बिल्डिंग में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही यहां पर प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं पर आफत आ गयी। आलम यह है कि यहां पर प्रसव के लिए आयी ऐसी प्रसूताएं जिन्हें सिजेरियन की जरूरत होती है, उन्हें सीधे मायागंज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। यहां सिजेरियन 16 अप्रैल से ही बंद है। सदर अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर हो रही प्रसूताओं के परिजन निजी अस्पताल चले जा रहे हैं। बुधवार को जगदीशपुर की गर्भवती महिला को सदर अस्पताल से मायागंज अस्पताल रेफर किया गया तो वह एक निजी अस्पताल में प्रसव कराने चली गयी। बुधवार को चंपानगर क्षेत्र की दो प्रसूताओं को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया तो वे सब अलग-अलग निजी अस्पताल में चली गयी। चूंकि रेफर करने का मामला सदर अस्पताल में इसलिए नहीं मिल सका, क्योंकि यहां पर ज्यादातर रेफर मौखिक ही किए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डॉ. अंजना कुमारी ने मायागंज अस्पताल के अधीक्षक को पत्र लिखकर बता दिया था कि 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सदर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर बंद रहेगा। ऐसे में सिजेरियन के मामले मायागंज अस्पताल रेफर किए जाएंगे। लेकिन ये पत्र में बताई गयी अवधि बीते छह दिन हो चुके हैं लेकिन सदर अस्पताल में सिजेरियन सेवा नहीं शुरू हो सकी।

क्या कहते है सदर अस्पताल प्रभारी डॉ0 राजू कुमार

नवनिर्मित एमसीएच बिल्डिंग में गायनी वार्ड के आपरेशन थिएटर के उपकरणों की शिफ्टिंग का काम चल रहा है। इसकी सूचना मायागंज अस्पताल प्रबंधन को दी जा चुकी है, जल्द ही सिजेरियन सेवा शुरू हो जाएगी।

सच के साथ
दैनिक
बिहार पत्रिका
आपकी आवाज उठाने के
हम निरंतर रहेंगे प्रयासरत
विज्ञापन व समाचार के लिए संपर्क करें
9801716267

शिक्षा से कौशल और हुनर से सुख समृद्धि : सृष्टि कुमारी

बच्चों का सर्वांगीण विकास मेरी पहली प्राथमिकता : निलेश कुमार

अमित कुमार झा, बांका।

बिहार। जिलांतर्गत रजौन बाजार स्थित सुप्रसिद्ध शिव सुभद्रा पब्लिक स्कूल सह मॉडर्न आवासीय विद्यालय व किड्जेनिया प्ले स्कूल वर्षों से प्रखंड में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर कई छात्र विभिन्न राज्यों व जिलों में उच्च पदों पर आसीन होकर विद्यालय एवं प्रखंड सहित जिले का नाम रौशन कर रहे हैं। विद्यालय में तमाम तरह की सुविधायें कम खर्च में उपलब्ध है। मौके पर विद्यालय के व्यवस्थापक डॉ0 रामसेवक सिंह ने बताया कि आज के युग में छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना बेहद जरूरी हो चुकी है। आज के बच्चे आने वाले कल के भविष्य है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर विद्यालय में विभिन्न जिलों के अनुभवी शिक्षक को रखा गया है, जो छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विद्यालय के निर्देशक निलेश कुमार ने बताया कि सभी शिक्षकों की साप्ताहिक बैठक कर छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ- साथ नौनिहालों का सर्वांगीण विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। शिव सुभद्रा विद्यालय के प्रधानाध्यापक नवरत्न मंडल ने बताया कि छात्र एवं छात्राओं की समय- समय पर परीक्षा लिया जाता है, कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए विद्यालय में विशेष व्यवस्था किया गया है। मॉडर्न आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक जयनारायण सिंह ने बताया कि हॉस्टल में रह रहे छात्र एवं छात्राओं को प्रतिदिन अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। किड्जेनिया प्ले स्कूल की प्रधानाध्यापिका सृष्टि कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के साथ- साथ बच्चों के लिए खेलकूद भी अति आवश्यक है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ तो होता ही है, मानसिक विकास भी होती है। साथ ही प्रधानाध्यापिका सृष्टि कुमारी ने कहा कि शिक्षा ग्रहण कर हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, यदि मनुष्य का चरित्र अच्छा होगा तो स्वभाव भी अपने आप निर्मल हो जाता है। शिक्षा से कौशल और हुनर से सुख समृद्धि प्राप्त होती है।

निर्देशक निलेश कुमार

प्रधानाध्यापिका सृष्टि कुमारी

पंच सरपंच संघ ने धूमधाम से मनाया 30 वां पंचायती राज दिवस, पंच सरपंचों ने गांधीजी का सपना, ग्राम स्वराज को मजबूत करने का लिया संकल्प

सुबे के 100 सरपंचों को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं यूनिवर्सल कंसलटिंग सर्विस द्वारा किया गया सम्मानित

पंच सरपंचों को न्याय-अधिकार दिये बगैर पंचायती राज दिवस मनाना होगा बेमानी - अमोद निराला

सामाजिक बुराई, कुरीतियां, बाल श्रम, बाल व्यापार, बाल तस्करी को रोकने में सरपंचों की भूमिका होगी अहम - डॉ अमन

पंच सरपंचों को सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अधिकार जल्द मिले - किरण देव यादव*

प्रवीण कुमार प्रियांशु। खगड़िया

बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं यूनिवर्सल कंसलटिंग सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में सन सेट इन होटल कंकड़बाग पटना में महाबैठक सह सेमिनार का आयोजन किया गया तथा पंचायती राज दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने किया। सेमिनार को चाणक्या राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमन कुमार, यूनिवर्सल कंसलटिंग सर्विस के डायरेक्टर ने संबोधित करते हुए पंच सरपंच संघ के सामाजिक न्याय संबंधित उत्कृष्ट कार्यों का सराहना किया। उन्होंने समाज में न्याय के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए समाज में गरीब एवं मध्यम वर्गों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया।

पंच सरपंचों ने विगत सम्मेलन एवं आंदोलन की समीक्षा किया तथा सर्वसम्मति से आगामी राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम को उपाध्यक्ष वशिष्ठ साहनी, कोषाध्यक्ष मनीष मिश्रा, विधि सलाहकार अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देव यादव, महासचिव मनोज कुमार, गीतांजलि देवी मनोज सिंह रंजीत कुमार अमित कुमार, संतोष कुमार, दिलीप चौधरी, आदि ने मांग पूरा नहीं होने पर एकजुटता का इजहार करते हुए आंदोलन तेज करने का अपील किया। सरपंचों को सरकार द्वारा सम्मानित नहीं करने पर नींदा किया गया।

सेमिनार में खगड़िया जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देव यादव ने कहा कि सरकार एमएलए एमपी मंत्री का वेतन मनमाना हर सत्र में बढ़ोतरी करती है, किंतु त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पंच सरपंचों का वेतन ढाई वर्ष से लंबित है, वेतन वृद्धि नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि जनहित समाज हित और देश हित में पंच सरपंच निशुल्क सेवा करेगी, एमएलए एमपी मंत्री भी लोक सेवक होने के नाते समाज सेवा के उद्देश्य से वेतन भत्ता पेंशन सहित सभी सुविधा त्याग करें। ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जरूरत से ज्यादा वेतन भत्ता पेंशन सुविधा देश जनहित में नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं, किसी को सब कुछ कहां का न्याय है? आर्थिक विषमता पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। श्री यादव ने सम्मान सुरक्षा सुविधा वेतन बीमा भत्ता पेंशन अधिकार देने की मांग सरकार से किया।

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बिहार के 100 सरपंचों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र पुष्पमाला से सम्मानित किया गया।

आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई रेलवे नियम को उल्लंघन करने का आरोप में 15 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

बिहार पत्रिका। मों साजिद

खगड़िया आरपीएफ द्वारा निरीक्षक प्रभारी अरविंद कुमार राम साथ सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार आरक्षी विक्रम कुमार आजाद आरक्षि जितेंद्र कुमार आरक्षि सज्जन कुमार द्वारा अभियान चलाकर रेलवे एक्ट के तहत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया ,जिसमें सात व्यक्ति को महिला कोच में अनाधिकृत रूप से यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया गया।

आठ व्यक्ति को खगड़िया स्टेशन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया जबकि एक व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से रेल क्षेत्र में मोटरसाइकिल लेकर प्रवेश करने मना करने पर मोटरसाइकिल छोड़कर भागने के जुर्म में अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है । सभी गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरपीएफ खगड़िया में मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय खगड़िया में प्रस्तुत किया गया सादर सूचनार्थ।

परबत्ता प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रवैया से नाराज राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दिखे उग्र, लगाई गंभीर आरोप

मामला पहुंचा बीडीओ अखिलेश कुमार के टेबल पर बोले जांच कर होगी कार्रवाई

बिहार पत्रिका। खगड़िया

परबत्ता प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी विलास कुमार के रवैया से नाराज राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दिखे उग्र। प्राप्त जानकारी अनुसार परबत्ता प्रखंड क्षेत्र के जोरावरपुर पंचायत के नया गांव गोढ़ियासी निवासी मसोमात मिंटू देवी अपने पति के मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई दिनों से सांख्यकी पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रही थी, वही महिला के साथ पहुंचे उसके स्वजन संतोष कुमार महिला का आवेदन लेकर जैसे ही पदाधिकारी के पास पहुंचे कि सांख्यिकी पदाधिकारी विलास कुमार भड़क गए और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आइए आज नगर पंचायत क्षेत्र का प्रभार है। तभी संतोष कुमार ने जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष शशिकांत मंडल को दूरभाष पर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद शशिकांत मंडल कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। वही शशिकांत मंडल का आरोप था कि सांख्यिकी पदाधिकारी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और कार्यालय से बाहर निकल जाने की धमकी दिया। सांख्यिकी पदाधिकारी पर सामाजिक कार्यकर्ता सहित नगर पंचायत क्षेत्र के कई पार्षदों ने रुपए लेकर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि मामले को लेकर नया गांव निवासी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता मिथिलेश कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार को लिखित तौर पर आवेदन दिया है। इसमें आम जनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एवं प्रमाण पत्र देने के एवज में रुपए मांगने वाले पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई करने का मांग किया गया है।

इतना ही नहीं बुधवार को प्रखंड कार्यालय में यह घटनाक्रम का सर गर्मी काफी जोर पकर लिया। इसके पश्चात नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड पार्षद के साथ-साथ उनके प्रतिनिधि ने भी सांख्यिकी पदाधिकारी पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में रिश्वत मांगने पर आक्रोशित होकर उनके कार्यालय पहुंच गए । इनमें सर्वीन कुमार यादव, पिंटू कुमार, नवीन कुमार, महेश शर्मा, विज्ञान कुमार, सोनू कुमार एवं कपिलदेव पंडित सहित अन्य लोग भी पहुंचें और पुछताछ में उन्होंने एक स्वर में कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के एवज में कार्यालय के कर्मी रुपए की मांग करते हैं ।

बहरहाल सांख्यिकी पदाधिकारी विलास कुमार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अधिकारियों के रवैया को लेकर आम जनों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी गहरी नाराजगी देखी जा रही है।बहरहाल उक्त घटनाक्रम को लेकर बीडीओ से लिखित आवेदन के जरिए शिकायत की गई है। जिसके जवाब में परबत्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि आरोपी पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत मिली है जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ताकि आम लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जल्द वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा ।

नया डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश मॉइश्चर सील फॉर्मूले के साथ देता है 99.99 प्रतिशत सुरक्षा

नई दिल्ली। भारत के सबसे भरोसेमंद जर्म प्रोटेक्शन ब्रांड डेटॉल ने 99.99त्न जर्म प्रोटेक्शन के साथ मॉइश्चर सील लाभ प्रदान करने के लिए अपने ऑरिजनल लिक्विड हैंडवॉश के फॉर्मूले को फिर से तैयार किया है। अतिरिक्त तत्वों के साथ तैयार किया गया, नया डर्मटॉलॉजिकली टेस्टेड डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश प्रत्येक उपयोग के बाद हाथों को नरमी और कोमलता का अहसास कराता है।

डेटॉल ने हमेशा ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर हैंड हाइजीन सॉल्यूशन पेश करने की दिशा में काम किया है। यह सॉल्यूशन कीटाणुओं को मारता है और त्वचा को बेहतर तरीके से साफ करता है। अपनी शुरुआत के बाद से, डेटॉल ने ग्राहकों को इस बात को लेकर भी जागरुक बनाने पर ध्यान दिया है कि आपस में साबुन को साझा करने से रोगाणु भी एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश जैसा बेहतर सॉल्यूशन प्रदान करता है। इसमें ग्राहकों को शुद्ध और स्पर्शरहित लिक्विड सोप मिलता है। यह इम्प्रव्ड लिक्विड हैंडवॉश बीते 5 सालों में डेटॉल के लिए इस कैटेगरी में किया गया पहला रिफॉर्म्युलेशन है, जो 99.99 त्न जर्म प्रोटेक्शन जैसे लाभ के साथ ही, बार-बार हाथ धोने पर हाथों के रूखेपन जैसी ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या को भी हल करता है। नया और बेहतर मॉइश्चर सील फ़ॉर्मूला हाथों को नरम बनाता है और धोने के बाद अपने पीछे हल्की सुगंध छोड़ जाता है।

प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बात करते हुए दिलेन गांधी, रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर, साउथ एशिया - हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रेकिट ने कहा, ÷डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश भारत में हाथों की सफाई के मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है। 30 से अधिक वर्षों से, हम हाथ की सफाई जैसी अच्छी आदतों को विकसित करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कम किया जा सके। हमारे मिशन के तहत हमने कई अभियान चलाए हैं और कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं जो इन अच्छी आदतों को विकसित करने की दिशा में कठिनाइयों को कम करते हैं। इस साल हम अपने फ्लैगशिप डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश प्रोडक्ट में सबसे बड़ा रिफॉर्मुलेशन पेश कर रहे हैं, जो ऑल-इन-वन बेहतर सॉल्यूशन प्रदान करता है। हमारा यह नया प्रोडक्ट डेटॉल के भरोसेमंद जर्म प्रोटेक्शन के साथ मॉइश्चर सील फॉर्मूला पेश करता है, जो प्रत्येक हैंडवॉश के बाद हाथों को साफ, स्वस्थ और मुलायम बनाता है।

नया प्रोडक्ट पैक डिजाइन 'नरम हाथों के लिए मॉइश्चर सील' के साथ-साथ बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से 99.99 त्न सुरक्षा के डेटॉल वादे को दोहराता है। ब्रांड ने एक नया टीवीसी भी लॉन्च किया है जिसमें इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट को प्रदर्शित किया गया है। इसी के साथ ही यह टीवीसी 'साबुन शेयर करने से जर्म भी शेयर होते हैं' की चिंता को उजागर करता है। टीवीसी में प्रोडक्ट की प्रमुख खूबियों जैसे 99.99त्न जर्म प्रोटेक्शन, मॉइश्चर सील को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही यह इस बात को भी मजबूती से बताता है कि हैंडवॉश की हर बूंद शुद्ध और स्पर्श रहित है।

नए डेटॉल लिक्विड हैंडवॉश के 200 एमएल पंप पैक की कीमत 79 रुपये और 675 एमएल के रिफिल पैक की कीमत 99 रुपये है। यह भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हैं।

हथियार के बल पर मनचले युवक ने नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, होश आने पर मां के पूछने पर बताई घटना

बिहार पत्रिका। खगड़िया

खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है,जहां नाबालिग लड़की के साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है।बताया जा रहा कि बीते 25 अप्रैल को गोगरी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ लगभग दिन के 12 बजे में घर से खाना लेकर बहियार जा रही थी।जहां धुप होने के कारण बहियार में एक कुटिया में बैठ गई।जहां एक वृद्ध से पुछा कि उसकी मां किस खेत में गेहूं काट रही है तो वहां उपस्थित नामजद युवक ने बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास पहुंचा दुंगा।जिसके बाद लड़की नामजद के साथ जाने लगी।दियारा में कुछ दूर जाने के बाद नामजद युवक ने कमर से हथियार निकालकर नाबालिग लड़की और उसके भाई को हथियार सटाकर डराया डमकाया एवं उसके भाई को साथ मार-पीट करते हुए नाबालिग लड़की को जबरदस्ती

घोड़ी पर बैठाकर मुंह गमछा से बांध दिया जिससे कि लड़की हल्ला न कर सकें।एवं कुछ दुर ले जाकर मकई के खेत में बलात्कार किया जब 12 वर्षीय नाबालिग लड़की बेहोश हो गई तो नामजद युवक लड़की को छोड़कर भाग गया।पीड़िता की मां ने बताई कि उसकी नाबालिग पुत्री रोती-बिलखती गिरती-पड़ती हुई किसी तरह मकई खेत से बाहर आकर गिर गई एवं बेहोश हो गई।बेटा आकर बताया कि बहन को घोड़ा पर लेकर भाग गया।तब वो गेहूं काटना छोड़कर दौड़ती-गिरती खोजते-खोजते एवं लोगों से पुछते-पुछते घटना स्थल पर पहुंची तो उसकी पुत्री बेहोश थी।आसपास के लोगों की मदद से पुत्री को बासा पर लाई एवं अपने पति को खबर करवाई।कुछ देर बाद पुत्री को होश आई तो सारी घटना बताई।जिसके आधार पर गोगरी थाना में लिखित आवेदन देकर उचित न्याय की गुहार लगाई है।इधर गोगरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर मामले की जांच की जा रही है,कारवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

घर से भटकी एक नाबालिग लड़की को संदिग्ध अवस्था में RPF ने पूर्ण जानकारी के साथ सीडब्ल्यूसी को किया सुपुर्द

बिहार पत्रिका। मों साजिद

खगड़िया। RPF निरीक्षक प्रभारी अरविंद कुमार राम साथ आरक्षी जितेंद्र कुमार खगड़िया स्टेशन का गस्त व निगरानी के क्रम में खगड़िया स्टेशन प्लेटफार्म संख्या एक के पश्चिमी छोर पर समय करीब 13ः00 बजे एक नाबालिग लड़की को संदिग्ध अवस्था में अकेले घूमते हुए देखा।

शक होने पर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम व पता तनु प्रिया उम्र 15 वर्ष पिता कुंदन कुमार दास माता शोभा देवी घर मुकेरिया उच्च विद्यालय के पास वार्ड नंबर 12 थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर बताएं । आगे पूछताछ करने बताएं कि वह अपने माता-पिता के बिना बताए घर से 2 दिन से भाग कर इधर-उधर भटक रही है । उसके द्वारा अपने पिता कुंदन कुमार दास के बताए गये मोबाइल नंबर पर सुचित किया। तत्पश्चात लड़की की सुरक्षा को देखते हुए महिला की सहायता से रेसुब पोस्ट खगड़िया लाया गया तथा उक्त नाबालिग लड़की को सीडब्ल्यूसी खगड़िया को अग्रिम करवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है।

डीएम ने रजौन पहुंचकर विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण

बिहार पत्रिका, बांका।

डीएम अंशुल कुमार बुधवार 26 अप्रैल को रजौन प्रखंड पहुंचकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया है। इसके बाद वे रजौन प्रखंड के बाबरचक गांव भी पहुंचे, जहां बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बनाने की कवायद जोर-शोर से जारी है। इधर बुधवार को डीएम के निरीक्षण को लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल रहा। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह अप-टू-डेट दिखे। इस दौरान बांका के डीएम के साथ डीडीसी कौशलेंद्र कुमार, वरीय अपर समाहर्ता माधव कुमार सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। डीएम अपने पदाधिकारियों के काफिले के साथ पहले रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आउटडोर, इमरजेंसी वार्ड सहित साफ- सफाई का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों व स्वास्थ्य प्रबंधक अल्पना कुमारी को कई आवश्यक दिशा- निर्देश भी जारी किया। उन्हें कुछ खामियां भी दिखा, जिसपर वे बिफर पड़े। डीएम श्री कुमार इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी पहुंचे और वहां ड्यूटी

पर तैनात वार्डन अंजना सिन्हा से व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली। यहां भी उन्हें कुछ खामियां दिखा, जिसपर उन्होंने नाराजगी जताई और कमियों को दूर करने का सख्त निर्देश वार्डन अंजना कुमारी को दिया। डीएम ने रजौन प्रखंड व अंचल कार्यालय का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रूटीन वर्क के तहत विधि- व्यवस्था में सुधार लाने हेतु निरीक्षण के क्रम में वे यहां पहुंचे हैं। रजौन प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बीडीओ राजकुमार पंडित, सीओ मोहम्मद मोईनुद्दीन से बातचीत कर कई आवश्यक दिशा- निर्देश भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की भी अपने स्तर से समीक्षा की। उनके यहां पहुंचने के करीब एक घंटा पहले ही बांका के डीडीसी कौशलेंद्र कुमार व एडीएम माधव कुमार सिंह यहां पहुंचकर प्रखंड सह अंचल मुख्यालय के कार्य प्रगति की समीक्षा कर चुके थे। इसके बाद डीएम ने भी अपने स्तर से कार्य प्रगति की समीक्षा की।

वहीं इसके बाद डीएम अंशुल कुमार रजौन प्रखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर अवस्थित बाबरचक एवं भीमकरचक गांव भी पहुंचे, जिसे बिहार का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में चयन किया गया है। इस गांव में 162 भूमिहीन परिवारों को बसाने की कवायद जारी है। इसके अलावे इस गांव में शहरों की तर्ज पर तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों का काफिला रात दिन योजनाओं को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। बुधवार को वे जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ स्मार्ट विलेज बाबरचक पहुंचे और कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्मार्ट विलेज में शामिल विभिन्न योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ मूर्त रूप देना है, इसमें किसी तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र सिन्हा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार सहित सभी विभाग के कनीय अधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे।

तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के मौके पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

हुबली-धारवाड़ पश्चिम में मंगलवार को महिला समावेश कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी।

केदारनाथ में मंदिर के कपाट खुलने के बाद मंगलवार को पूजा करने पहुंचे भक्त।

हिंसा प्रभावित सूडान से निकलने के बाद अपने बच्चे के साथ जेद्दाह पोर्ट (सऊदी अरब) पर पहुंचा एक सऊदी नागरिक।

पोर्ट सूडान में मंगलवार को आईएनएस सुमेधा में सवार होने के लिए कतार में खड़े भारतीय नागरिक। ये नागरिक हिंसा प्रभावित सूडान से 'ऑपरेशन कावेरी' के तहत जेद्दाह के लिए रवाना हो रहे हैं।

चिकमगलूर में मंगलवार को श्री वीरभद्रेश्वर स्वामी केंडोत्सव के दौरान जलते अंगारों पर चलने में एक लड़की की मदद करते श्रद्धालु।

रांची में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ढोल 'नगाड़ा' और 'मंदार' बजाते आदिवासी कलाकार।

मैसूर (कर्नाटक) में मंगलवार को एक जनसभा में पहुंचने से पूर्व कांग्रेस समर्थकों का अभिवादन करतीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी।

पुंछ जिले के बाटा-डोरिया इलाके में मंगलवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गश्त करते सुरक्षाकर्मी।

एलजीबीटीक्यूआईए+ के माता-पिता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी

समलैंगिक शादी को मान्यता की गुहार

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में भारतीय एलजीबीटीक्यूआईए+ बच्चों के माता-पिता ने विवाह समानता के लिए याचिका पर विचार करने की अपील की और कहा कि हम अपने जीवनकाल में अपने बच्चों के इंद्रधनुष विवाहों पर कानूनी मुहर देखने की उम्मीद करते हैं।

आशीष सिन्हा

द रेनबो पेरेंट्स नामक समूह के भारतीय एलजीबीटीक्यूआईए+ बच्चों के माता-पिता द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने देश में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने रिश्ते के लिए कानूनी स्वीकृति प्राप्त करें।

हमें यकीन है कि हमारे जितना बड़ा देश जो अपनी विविधता का सम्मान करता है और समावेश के मूल्य के लिए खड़ा है, हमारे बच्चों के लिए भी विवाह समानता के अपने कानूनी द्वार खोल देगा। हम बूढ़े हो रहे हैं। हम में से कुछ जल्द ही 80 को छू लेंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने जीवनकाल में अपने बच्चों की इंद्रधनुषी शादियों पर कानूनी मुहर देखने को मिले।

द रेनबो पेरेंट्स एलजीबीटीक्यूआईए+ के माता-पिता द्वारा एलजीबीटीक्यूआईए+ के माता-पिता के लिए सहायता समूह है जोकि स्वीकृति की दिशा में उनकी यात्रा को नेविगेट करने में मदद करता है।

देश के कोने-कोने से 400+ से अधिक माता-पिता हैं। पत्र में आगे कहा गया है कि हम आपसे विवाह समानता की याचिका पर विचार करने की अपील कर रहे हैं।

लिंग और कामुकता के बारे में जानने से लेकर अपने बच्चों के जीवन को समझने तक अंततः उनकी कामुकता और अपने प्रियजनों को स्वीकार करने तक हम भावनाओं के पूरे दायरे से गुजरे हैं।

हम उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं जो विवाह समानता का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम में से कुछ वहां थे।

माता-पिता ने कहा कि हमें अपने एलजीबीटीक्यूआईए+ बच्चों के साथ शिक्षा, बहस और धैर्य के साथ यह महसूस करना पड़ा कि उनका जीवन, भावनाएं और इच्छाएं वैध हैं।

भारतीय एलजीबीटीक्यूआईए+ बच्चों के माता-पिता ने कहा कि इसी तरह हम आशा करते हैं कि जो लोग विवाह समानता का विरोध करते हैं, वे भी सामने आएंगे। हमें भारत के लोगों, संविधान और हमारे देश के लोकतंत्र पर भरोसा है।

हाईकोर्ट ने दिल्ली के अफसरों को दिया एक महीना

थर्ड जेंडर के लिए अलग से टिकट जारी करे डीटीसी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीटीसी द्वारा जारी बस टिकटों में तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक प्रतिनिधित्व तय करने के लिए शहर के सरकारी अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि अनुपालन न करने की स्थिति में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक 18 अगस्त को उसके समक्ष उपस्थित रहेंगे।

अदालत का आदेश एक खंडपीठ के अक्टूबर, 2022 के आदेश के जान-बूझकर गैर-अनुपालन के लिए दायर एक अवमानना याचिका पर आया जिसने अधिकारियों को प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए 4 महीने का समय दिया था।

डिवीजन बेंच का आदेश ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका पर आया था जिसने बस टिकटों में समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने और डीटीसी बसों में उनके लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करने की मांग की थी।

डीटीसी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को गुलाबी टिकट जारी किया जाता है जो उन्हें मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति देता है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि 6 महीने से अधिक की निष्क्रियता निश्चित रूप से लंबी थी लेकिन राज्य के अधिकारियों को पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाता है।

अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा कि जीएनसीटीडी के माध्यम से खंडपीठ द्वारा जारी निर्देश याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने तक सीमित है और इसलिए प्रतिवादी की निष्क्रियता और उक्त प्रतिनिधित्व पर 6 महीने से अधिक समय तक विचार न करने की अवधि निश्चित रूप से लंबी है।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील के अनुरोध पर अदालत ने आदेश दिया कि यह अंतिम अवसर है और मामले को स्थगित कर दिया जाता है लेकिन संबंधित अफसर 1 महीने की अवधि के भीतर खंडपीठ के आदेशों का पालन करेंगे जिसमें विफल रहने दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहना पड़ेगा।

समान नागरिक संहिता पर दाखिल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

■ कहा- सुप्रीम कोर्ट से करो गुहार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की मांग करने वाली याचिका प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं है और उनसे इसी तरह के मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को इसके समक्ष रखने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उपाध्याय से कहा कि आप उन प्रार्थनाओं को दर्ज करें। हम देखेंगे। यह प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं है। हम पहले देखेंगे कि क्या यह बनाए रखने योग्य है। अदालत को सूचित किया गया था कि मार्च में शीर्ष अदालत ने उपाध्याय द्वारा लैंगिक तटस्थ और धर्म तटस्थ कानूनों के संबंध में याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि ये विधायी डोमेन के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने 2015 में यूसीसी के संबंध में वहां से एक याचिका भी वापस ले ली थी।

अदालत ने टिप्पणी की कि एक सरल निकासी को एक ही शिकायत के साथ अदालत से संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता के साथ वापसी से अलग होना चाहिए और याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में इन मामलों में प्रार्थना दायर करने का निर्देश दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील एमआर शमशाद ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर उपाध्याय की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय में 4 याचिकाएं दायर कीं जिन्हें खारिज कर दिया गया। यह उनका दूसरा दौर था। उपाध्याय ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष उनकी याचिका मुस्लिम कानून के तहत तलाक (तलाक) से संबंधित है और वह विधि आयोग के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

मई, 2019 में उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एकता, लैंगिक न्याय और समानता और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली उपाध्याय की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।

उपाध्याय की याचिका के अलावा 4 अन्य याचिकाएं भी हैं जिन्होंने तर्क दिया है कि भारत को एक समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 14-15 के तहत गारंटीकृत लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत महिलाओं की गरिमा को अनुच्छेद 44 (राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा) को लागू किए बिना सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

याचिका में दावा किया गया है कि यूसीसी देश के प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक सामान्य सेट के साथ व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के धर्मग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित हैं।

जवाब में केंद्र ने कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिकों द्वारा विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना देश की एकता का अपमान है और समान नागरिक संहिता के परिणामस्वरूप भारत का एकीकरण होगा।

हालांकि, यह कहा गया है कि यूसीसी के गठन के लिए एक याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह नीति का मामला है जिसे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना है और इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

केंद्र ने जोर देकर कहा कि वह विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संहिता तैयार करने के मुद्दे पर हितधारकों के परामर्श से जांच करेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

दिल्ली नगर निगम में एल्डरमेन की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अब 2 मई को होगी सुनवाई

दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की चुनौती याचिका पर अब अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सचिवालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह लोकतंत्र का अपमान है। एक पार्टी बहुमत से जीत कर आती है और उसे पलटने की कोशिश हो रही है।

सोमवार को सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की बेंच के समक्ष दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 मई को तय कर दी है। इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय का कहना था कि जीएनसीटीडी एक्ट में 2019 में हुए बदलाव के बाद कानूनी स्थिति बदल चुकी है।

दिल्ली में पहली बार एलजी ने एमसीडी में एल्डरमैन अपनी मर्जी से नियुक्त किए हैं। इससे पहले अब तक दिल्ली सरकार एल्डरमैन का चयन करती थी। एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर फ्रॉड करने का आरोप लगा चुकी है। तब पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि एलजी ने गैर कानूनी तरीके से निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ की बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 243आर कहता है कि एल्डरमैन वो लोग होंगे जिन्हें निगम प्रशासन का खास अनुभव होगा।

एमसीडी चुनाव जीतकर भले ही आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया हो लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए असली चुनौती स्टेंडिंग कमेटी का चुनाव है जिसमें एलडरमेन को वोटिंग का अधिकार है। स्टेंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर कमेटी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टेंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद ही उसे आगे सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है।

ऐसे में स्टेंडिंग कमेटी काफी पॉवरफुल होती है और स्टेंडिंग कमेटी का चेयरमैन एक किस्म से एमसीडी का असली राजनीतिक हेड होता है।

माफिया ही नहीं, देश के दुश्मनों से भी था अतीक अहमद का गठजोड़, आतंकी को बनवाकर दिया था पासपोर्ट

गुजरात से दोबारा प्रयागराज के नैनी जेल लाए जाने तक किसी को नहीं मालूम था कि माफिया अतीक अहमद के तार आतंकियों और देशद्रोहियों से जुड़े ही नहीं, बल्कि दोनों एक-दूसरे को भारत के खिलाफ मुहिम में खूब मदद कर रहे हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस ने जब सीजेएम के सामने अतीक अहमद और अशरफ के कबूलनामे को पढ़ा तो सहसा किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अतीक अहमद पाकिस्तानी टेररिस्टों का साथी-मददगार भी हो सकता है। पुलिस जांच से पता चला है कि अतीक अहमद और अशरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मदद लेते थे और उनको मदद भी करते थे। इस नए खुलासे से पुलिस और जांच एजेंसियां ही नहीं, बल्कि अतीक के जानकारों के पैरों के नीचे तले जमीन खिसक गई।

जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखकर जीशान कमर को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी थी।

अशरफ ने अपने लेटर हेड पर जो पत्र पासपोर्ट अधिकारी को भेजा था, उसमें जीशान कमर को भली-भांति जानने की बात कही थी। ये पत्र जनवरी, 2017 में लिखा गया था। साल 2021 में जीशान कमर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद वह कुछ साथियों के साथ लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज ले आया और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म में छिपा दिया था। वो ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था।

अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गत 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर हत्या कर दी गई थी। हत्या के समय दोनों भाई पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस उनसे उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में पुलिस को दोनों से अहम जानकारी मिली थी जिसमें आईएसआईएस से कनेक्शन भी था।

दिल्ली शराब घोटाला: सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर पहली बार शामिल किया गया है।

सिसोदिया के अलावा, सीबीआई की चार्जशीट में बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडेय, अमनदीप ढाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के. कविता का नाम भी शामिल है।

चार्जशीट दाखिल होने से कुछ मिनट पहले मनीष सिसोदिया की तबीयत खराब होने की खबर आई थी। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, सिसोदिया 1 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका पर आगे की जांच जारी रखी है। सीबीआई ने 5 महीने पहले शराब नीति केस में 7 आरोपियों के खिलाफ 10 हजार पन्नों की चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था।

सीबीआई की चार्जशीट में 2 गिरफ्तार बिजनेसमैन, 1 न्यूज चैनल के चीफ, हैदराबाद के 1 शराब कारोबारी, दिल्ली के 1 शराब डिस्ट्रीब्यूटर और आबकारी विभाग के 2 अधिकारी शामिल हैं।

चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, गौतम मूथा, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने केंद्र सरकार से अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। राज्य बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में बीसीआई ने प्रभावी कानून का आग्रह किया जो अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के जीवन, हितों और विशेषाधिकारों की रक्षा कर सके।

बीसीआई ने बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जिसमें नामांकन शुल्क के नियम, विदेशी वकीलों और कानून फर्मों का विनियमन, और स्टेट बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यताएं शामिल हैं। बीसीआई ने कहा कि कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ताओं को शारीरिक नुकसान से बचाया जाए, जब वे मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या अदालती सुनवाई में उपस्थित होते हैं।

इसमें अधिवक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए उचित सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। अधिवक्ताओं को अक्सर मुवक्किलों या अन्य पक्षों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कानून को इस तरह के उत्पीड़न को रोकने के उपायों का प्रावधान करना चाहिए और इसमें लिप्त लोगों को दंडित करना चाहिए।

मुख्तार पर गाजीपुर प्रशासन ने लगाया गैंगस्टर एक्ट तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अपील की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने माफिया मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं 5-5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है जिसे अपील में चुनौती दी गई है। अपील पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। उनका कहना था कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परीक्षण नहीं किया है। उसे राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। फिलहाल, अपील दाखिल करने में हुई देरी पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

ट्रेनों के हॉर्न के खिलाफ याचिका खारिज

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ट्रेनों द्वारा हॉर्न के इस्तेमाल के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ट्रेनों के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों का उल्लंघन होता है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, सुधीर अग्रवाल और अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि रेलवे परिचालन बड़ी संख्या में आबादी की सेवा करता है और उनके संचालन में शोर उत्पन्न होता है जिसे दूर नहीं किया जा सकता। लागू सीटी कोड के अनुसार हॉर्न बजाना आवश्यक है। इस प्रकार, जबकि शोर मुक्त वातावरण आवश्यक है, किसी अन्य विकल्प के अभाव में आवश्यक गतिविधियां संचालित की जानी चाहिएं। एनजीटी अजमेर, राजस्थान के विभिन्न इलाकों के निवासियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने दावा किया कि वे रेलवे के संचालन से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के कारण पीड़ित थे।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर एससी में सुनवाई टली, 9 मई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है जिसमें श्रेणी 2बी के तहत मुसलमानों को प्रदान किए गए लगभग 3 दशक पुराने 4% ओबीसी आरक्षण को रद कर दिया था। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच 9 मई को मामले की सुनवाई करेंगे।

कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे वीरशैव-लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के बीच समान रूप से 2% पर वितरित कर दिया। पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने वोक्कालिगा और लिंगायत समूहों की ओर से तर्क दिया कि मुद्दा केवल आरक्षण को रद करने का नहीं, बल्कि एक अलग समुदाय को आरक्षण आबंटित करने का भी है।

उन्होंने दावा किया कि जीओ पर अंतरिम रोक लगाने से लिंगायतों और वोक्कालिगाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले अदालत ने कहा था कि राज्य में मुस्लिम लंबे समय से इस आरक्षण का लाभ उठा रहे थे और कोटा खत्म करने का आदेश प्रथम दृष्टया गलत धारणाओं पर आधारित था। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि आपके फैसले की बुनियाद त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगती है। दरअसल, बेल्लारी के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति के राज्य सरकार के मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न की एफआईआर न होने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इतना सुनते ही चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिस जारी करो और इसे सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष पहलवानों ने कहा था कि उनका डब्ल्यूएफआई चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका आरोप था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह पर महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न करने के उनके आरोपों की उचित जांच के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों को सरकार से सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

2013 बेंगलुरु बम ब्लास्ट: बैन संगठन के 2 आरोपियों को 7 साल जेल की सजा

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मल्लेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के पास 2013 में हुए बम विस्फोट में उनकी भूमिका के लिए 2 आरोपियों को 7 साल जेल की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम (एनआईए अधिनियम) के तहत विशेष न्यायाधीश सीएम गंगाधर ने मामले के 2 आरोपियों प्रकाश डेनियल प्रकाश और प्रतिबंधित संगठन अल-उम्मा के जॉन नासिर के खिलाफ आदेश पारित किया। प्रकाश और नासिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 121, 121ए, 123, 307, 332, 435, 201, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 और धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, 16, 17, 18, 19 और 20ए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, अपराध स्वीकार करने के बाद उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया और कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायिक हिरासत में पहले से काटे गए समय के अलावा शेष सजा काट ली जाए। साल 2008 में बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की गिरफ्तारी के बाद प्रतिबंधित उग्रवादी समूह अल-उम्मा के सदस्य तत्कालीन सरकार से अधीर थे। 13 अप्रैल, 2013 को आरोपी ने भाजपा कार्यालय को निशाना बनाकर एक बाइक पर आईईडी बम विस्फोट कर दिया। इस घटना में 12 पुलिस अधिकारी और 1 युवती सहित 6 लोग घायल हुए थे।

आवासीय सोसाइटी को कुत्तों को डराने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करने वाले सुरक्षा गार्डों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश

बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में एक आवासीय सोसायटी को सुरक्षा गार्डों के खिलाफ सदस्यों द्वारा शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया है जो जानवरों को डराने, धमकाने या घायल करने के लिए लाठी का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की खंडपीठ ने सोसायटी को ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया क्योंकि जानवरों पर लाठियां चलाना उनके खिलाफ क्रूरता होती है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां तक सुरक्षा गार्डों द्वारा लाठियों का उपयोग करके जानवरों को डराने/धमकाने का संबंध है, हम याचिकाकर्ता और समाज के अन्य सदस्यों से इस संबंध में शिकायतों पर विचार करने का निर्देश देते हैं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

हाईकोर्ट ने कहा ऐसे सुरक्षा गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। यह आवश्यक होगा क्योंकि हमारा स्पष्ट मत है कि इस तरह के जबरदस्ती के तरीके निश्चित रूप से जानवरों के लिए क्रूरता का कार्य होंगे। सोसायटी आरएनए रॉयल पार्क सीएचएसएल की निवासी पारोमिता पुथरन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

पुथरन ने हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खिलाने की मांग की और दावा किया कि समाज ऐसा करने को तैयार नहीं था और उसे कुत्तों को खिलाने से भी मना कर रहा था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स संस्था के मुख्य

कार्यकारी अधिकारी अबोध अरास ने सोसाइटी का दौरा किया और आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले क्षेत्रों पर रिपोर्ट तैयार की।

रिपोर्ट के आधार पर सोसायटी और पुथरन क्षेत्रों पर पुनर्विचार करने और उपयुक्त खिला क्षेत्रों को नामित करने के लिए सौहार्दपूर्ण संकल्प पर पहुंचने के लिए सहमत हुए इसलिए पुथरन ने कुत्तों को पीने का पानी मुहैया कराने की भी पेशकश की। कोर्ट ने ई-सोसाइटी से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया।

खंडपीठ ने कहा कि पक्षों को विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुत्तों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता।

यह समाज के निवासियों का दायित्व होगा कि वे हमेशा पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान करें। खासकर गर्मी के मौसम की शुरूआत को देखते हुए जानवरों के लिए। पुथरन ने यह भी दावा किया कि सोसायटी परिसर से कुत्तों को दूर रखने के लिए कुछ बाउंसरों को नियुक्त किया गया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक कृष्णा टेकरीवाल ने दैनिक बिहार पत्रिका प्रेस, कदमकुआं, पटना-3 बिहार से छपवाकर दैनिक बिहार पत्रिका, पता- कंकड़बाग, पटना-3, पटना, बिहार से प्रकाशित किया। सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र पटना होगा। मोबाइल नंबर : 9801716267